Name of the Manufacturer	Ordered (KL)	Supplied (KL)	Value in Rs. Crores	Ordered (KL)	Supplied (KL)	Value in Rs. Crores
RAJASTHAN COMMUNICA-TIONS LTD.	—	—	—	—	—	—
ANDREW YULE & CO. LTD.	6.1	6.1	1.73			
SIEMENS TELE-MATIK LTD (Earlier WEBEL)	6.1	6.1	1.73			

Production/Export by Optical Fibre Cable Production Units

1174. SHRI MD. SALIM:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased:

(a) the names, locations, installed capacity, total investment upto 31st March, 1996 and number of employees of the optical fibre cable production units in the country;

(b) the quantum of supplies made by each of these units during 1994-95 and 1995-96 to DOT and MTNL and others, in terms of value and sheath and fibre kilometers;

(c) the foreign exchange outgo, indigenous value addition exclusive of Customs and other Duties, handling and transportation of these factories in the corresponding years; and

(d) the quantum of exports by each of these units during 1994-95 and 1995-96 in terms of value, sheath, conductors, kilometers?

THE MINISTER OF COMMUNICA-TIONS (SHRI BENI PRASAD VAR-MA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आई.टी.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओं. बूथों की स्वीकृति हेतु मानदण्ड

1157. **श्री रामजीलाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.एस.डी./एस.टी.डी/ पी.सी.ओं. बूथों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु मानदण्ड क्या हैं;

(ख) आई.एस.डी./एस.टी.डी./ पी.सी.ओ./ बूथों हेतु कितने आवेदन स्वीकृति के लिए लम्बित हैं;

(ग) ये आवेदन कब से लम्बित हैं और हरियाणा में ऐस लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) एस.टी.डी.- पी.सी.ओं. का आबंटन प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिएगठित एक पीसीओं आबंटन समिति द्वारा किया जाता हैं । इस समिति में दो सरकारी सदस्य तथा गैर-सरकारी सदस्य होते हैं जिनमें एक-एक सदस्य गौण-स्विचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे वर्तमान संसद सदस्य द्वारा नामित किये जाते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा पास और शहरी क्षेत्रो के लिए शैक्षिक योग्यता मैंट्रिक/हाई स्कूल पास निर्धारित हैं ।

निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गयी हैं :-

1. विकलांग व्यक्ति जिनमें नेत्रहीन भी शामिल हैं ।